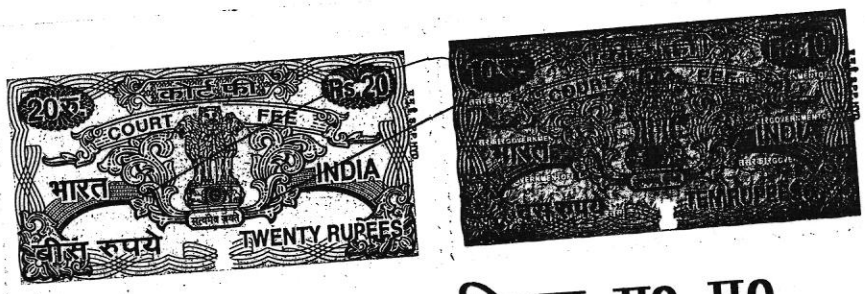

समक्ष राजस्व मण्डल ग्वालियर म0 प्र0

P 256- I-17

शीतल प्रसाद पोहानी पिता स्व0 श्री मोहनदास पोहानी
आयु 76 साल, निवासी बड़ा बाजार, रानीगंज मोहल्ला
पन्ना तहसील व जिला पन्ना म0 प्र0 .....पुनरीक्षणकर्ता

बनाम

..... पुनरीक्षणगृहीता

श्री शासन म0 प्र0
द्वारा आज दि. को
प्रस्तुत 19-1-17

क्लर्क ऑफ कोर्ट
19-1-17
राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

पुनरीक्षण याचिका अन्तर्गत धारा 50 म0 प्र0 भूराजस्व संहिता 1959 विरूद्ध न्यायालय तहसीलदार महोदय पन्ना के रा.प्र.क्र.– 10/अ–68/वर्ष 2014–15 शासन म0प्र0 बनाम शीतल प्रसाद पोहानी में पारित आदेश दिनांक 06.01.2017 से दुखित होकर.

19/01/17

महोदय,

पुनरीक्षणकर्ता शीतल प्रसाद पोहानी की ओर से निम्नलिखित निवेदन है :–

पुनरीक्षण के संक्षिप्त तथ्य

1. यह कि प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि शिकायती आवेदन क0 पीजी/297746/2014 आदेश क0 71/भू–अभि./2014 दिनांक 08.09.2014 के सापेक्ष में गठित दल द्वारा शासकीय आराजी नं0 2398 का ई.टी.एस. मशीन से सीमाकंन किया गया जाकर पुनरीक्षणगृहीता की ओर से पुनरीक्षणकर्ता को दिनांक 26.09.2014 को कारण बताओ नोटिस प्रेषित कर सूचित किया गया कि पुनरीक्षणकर्ता द्वारा मौजा पन्ना जिला पन्ना की शासकीय भूमि खसरा नं0 2398 के जुज भाग उत्तर दक्षिण 76 फीट, पूर्व पश्चिम उत्तरी कोने पर 11 फीट एवं दक्षिणी कोने पर 1 फीट पर बाउन्ड्रीवाल बनाकर अवैध रूप से अतिक्रमण कर लिया है उक्त नोटिस दिनांक 26.09.2014 का पुनरीक्षणकर्ता द्वारा माननीय अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार महोदय पन्ना के न्यायालय में जवाब प्रस्तुत किया गया कि उसके द्वारा उक्त शासकीय आराजी 2398/1 पर कोई अतिक्रमण नहीं किया गया है बल्कि पुनरीक्षणकर्ता/अनावेदक का भवन आराजी खसरा नं. 2402/2 पर निर्मित है उक्त आराजी पुनरीक्षणकर्ता द्वारा दिनांक 05.03.1966 को कर्नल जंगबहादुर सिंह से पंजीकृत बैनामा के द्वारा क्रय की गई थी जिस पर पुनरीक्षणकर्ता का भवन अर्सा 44 वर्ष पूर्व से पक्का बना हुआ है।

2. यह कि पुनरीक्षणकर्ता द्वारा माननीय अधीनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत जवाब में लेख किया कि पुनरीक्षणगृहीता शासन म0 प्र0 द्वारा प्रेषित कारण बताओ नोटिस में उल्लेखित गठित दल जिनके द्वारा उक्त स्थल का सीमाकंन किया जाना बताया गया है उनका कोई प्रतिवेदन, फील्ड बुक, नक्शा एवं पंचनामा इत्यादि कोई दस्तावेज

XXXIX(a)BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

प्रकरण कमांक – निगरानी / 256–एक / 17 जिला – पन्ना

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
7/12/17	प्रकरण का अवलोकन किया । यह निगरानी तहसीलदार, पन्ना द्वारा प्र0क्र0 10 / अ–68 / 2014–15 में पारित आदेश दिनांक 6–1–17 के विरूद्ध म0प्र0 भू–राजस्व संहिता, 1959 (जिसे आगे संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के तहत प्रस्तुत की गई है । 2/ उभयपक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं के तर्कों पर विचार किया एवं आलोच्य आदेश का अवलोकन किया । यह प्रकरण संहिता की धारा 248 का है । आलोच्य आदेश द्वारा तहसीलदार, पन्ना ने आवेदक की ओर से प्रस्तुत आवेदन दिनांक 27–12–16 जिसमें प्रकरण को Resjudicata लागू होने के कारण खारिज करने का अनुरोध किया गया था, को निरस्त करते हुए आवेदक को शेष साक्ष्य प्रस्तुत करने हेतु अंतिम अवसर देते हुए प्रकरण 7–1–17 के लिए नियत किया गया है । तहसीलदार के आदेश से स्पष्ट है कि उन्होंने प्रकरण में Resjudicata लागू न होने के संबंध में समुचित कारण देते हुए आवेदक का आवेदन निरस्त किया है । प्रकरण के तथ्यों को देखते हुए उनका आदेश उचित एवं न्यायिक है । प्रकरण का निराकरण तहसीलदार, पन्ना द्वारा गुणदोष पर किया जाना है जहां आवेदक को अपना पक्ष रखने का समुचित अवसर उपलब्ध है । दर्शित परिस्थिति में यह पाया जाता है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा की जा रही कार्यवाही में हस्तक्षेप का कोई आधार नहीं है । परिणामतः यह निगरानी निरस्त की जाती है । 3/ अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख वापिस हो । प्रशा0 सदस्य 7/12/17	